



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935

No. 383]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 519(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महानियंत्रक, पेटेन्ट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2005, को जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-3 पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लेख किया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन महानियंत्रक, पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह के कार्यालय में आशुलिपिक श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानियंत्रक, पेटेन्ट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्ह, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री आशुलिपिक श्रेणी-2, समूह-'ग' अराजपत्रित भर्ती नियम, 2013 है।
(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
आशुलिपिक श्रेणी-2	04* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ग’, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 2,400 रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विदित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
6	7	8	9
18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख होगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा पास कौशल परीक्षण मानक (ii) श्रुति लेख : 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए। कम्प्यूटर पर प्रतिलेखन : अंग्रेजी में 50 मिनट और हिन्दी में 65 मिनट	लागू नहीं होता।	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी छुट्टी या किन्हीं अन्य	लागू नहीं होता।	समूह ‘ग’ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 01 ज्येष्ठ संयुक्त उच्चतराज या	लागू नहीं होता।

<p>परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखने वाले केंद्रीय सरकार के नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेंगी।</p>		<p>संयुक्त रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन - अध्यक्ष</p> <p>02. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य</p> <p>03. उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार या ज्येष्ठ परीक्षक या परीक्षक व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन - सदस्य</p> <p>04. उप नियंत्रक या सहायक नियंत्रक एवं डिजाइन - सदस्य</p>	
---	--	--	--

[फा. सं. 2/4/2013-आईपीआर- I]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

G.S.R. 519(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Controller General, Patents, Designs and Trade Marks, Trade Marks and Geographical Indications Registry Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2005, in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade II in the Trade Marks and Geographical Indications Registry in the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, under the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely: -

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Trade Marks and Geographical Indications Registry, Stenographer Grade-II Group 'C' (Non-Gazetted) Recruitment Rules 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or scale of pay.— The number of posts, their classification and the pay band and grade pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Stenographer Grade II	*04 (2013) *Subject to variation dependent of workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Pay Band - 1 (Rs. 5,200 - 20,200) + Grade Pay Rs. 2,400)	Not Applicable	18 - 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: - The crucial date for determining the age limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods
7	8	9	10
(i) 12 th class pass from a recognized Board or University Skill Test Norms (ii) Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription (On Computer): 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi)	Not Applicable	Two Years	Direct Recruitment through Staff Selection Commission. Note: - Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Col. 7.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Not Applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :- 1. Senior Joint Registrar or Joint Registrar of Trade Marks and Geographical Indications – Chairman 2. Administrative Officer – Member 3. Deputy Registrar or Assistant Registrar or Senior Examiner or Examiner of Trade Marks and Geographical Indications (member representing Scheduled Caste or Scheduled Tribe) – Member 4. Deputy Controller or Assistant Controller of Patents and Designs – Member	Not applicable.

[F. No. 2/4/2013-IPR-1]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.

3342 96/13-2

